मैं0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा नून नदी के लॉट नं–8/4 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 06.08.2014 (अपरान्ह 12.30 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुनवाला, ग्राम सभा गुजराड़ा, करनपुर, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नून नदी के लॉट नं–8/4 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुनवाला, ग्राम सभा गुजराड़ा, करनपुर, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर एक ही स्थान पर लोक सुनवाई होने के कारण एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 12.30 बजे अपरान्ह लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नून नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 02.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के

पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 21.66 है0 है। जो कि ग्राम [illegible], फुलसैनी, बिलासपुर कांडली तहसील विकासनगर व सदर जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु वार्षिक रू0 5.51 लाख का अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **मदन कनियाल, निवासी जामुनवाला द्वारा** पूछा गया कि क्या ग्राम सभा के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य आरम्भ होने से पहले नियमावली बनायी जाये और उसी के आधार पर खनन हो, जिसकी एक प्रतिलिपि ग्राम प्रधान के पास हो, ताकि अवैध खनन और अनियमिताऐं होने पर हस्तक्षेप कर सकें। इसके अतिरिक्त खनन कार्य में प्रयोग किये जाने वाले ट्रक / ट्राली ड्राइवरों से संबन्धित नियमावली बनायी और नियमानुसार उसका पालन कराया जाये, जिससे ट्रक / ट्राली के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण न हो एवं क्षेत्र में अनावश्यक उनकी आवाजाही पर अंकुश लग सके।

2. **संजय बंसल, निवासी जामुनवाला** द्वारा सुझाव दिया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम का ड्रेस कोड होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि कास्तकारों की भूमि से अवैध खनन किया जाता है। उनके द्वारा पूछा गया कि अवैध खनन को रोकने के लिये कोई समिति बनेगी? यदि ग्रामवासियों को कोई परेशानी होती है तो वो कहां शिकायत करेंगे? एवं अवैध खनन होने पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम क्या कार्यवाही करेगा?

3. **निरंजन सिंह (पूर्व सैनिक) ग्राम प्रधान** द्वारा कहा गया कि जनता चाहती है कि खनन कार्य होना चाहिए। खनन होने से अवैध खनन पर रोक लगेगी। उनके द्वारा कहा गया कि इस ग्राम सभा में बहुत से परिवार गरीब है, जिन्हें अपने घरों के निर्माण के लिये खनन सामग्री कम दामों पर मिलें। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक विधि से हो, नदी के बीचोंबीच खनन हो जिससे बरसात में ग्रामवासियों की भूमि का कटाव न हो। उनके द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार भी इस पर निगरानी रखे। इसके अतिरिक्त जंगलों की सुरक्षा एवं देखभाल पर भी बल दिया गया। खनन कार्य से गरीब जनता और ग्रामवासियों को इसका लाभ मिले। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य जनहित में हो, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ न मिलें।

4. **कमल ध्यानी, निवासी जामुनवाला** द्वारा लोक सुनवाई का स्वागत किया गया और खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा खनन कार्य होना चाहिए और वैज्ञानिक विधि से हो, भूमि कटाव होने पर ग्रामवासियों को खनन सामाग्री की रायल्टी में छूट मिलनी चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी एवं स्थानीय व्यक्तियों को खनिज सामग्री में छूट हेतु

कोई प्राविधान नहीं है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन मार्ग एक मार्गीय होने एवं सैन्य परिसर से होकर गुजरने के कारण सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के उपरांत ही खनन कार्य शुरू किया जायेगा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है एवं पुल के 100 मीटर की दूरी पर किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु दोनों हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, जिसमें कि मात्र 5 से 6 व्यक्तियों द्वारा ही हाथ खड़े कर सहमति व्यक्त की गयी, उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई प्रतिकिया व्यक्त नहीं की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
देहरादून

DATE 06 08 2014

सौंग नदी के लाट संख्या 08/4 में चुगान/खनन हेतु दिनांक 06/08/2014 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुनवाला, ग्राम नकुजाराड़ा, धर्मपुर विकास खण्ड रायपुर, जनपद देहरादून में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका

क्र०सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री० प्रताप सिंह शाह (ADM F/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9756666555	[signature]
(2)	श्री० रजकान्त पंवार (जा० अधि०)	प्रदू० नियं० बोर्ड देहरादून	9410393245	[signature]
(3)	श्री० सुनील उनियाल (अनु० सहा०)	प्रदू० नियं० बोर्ड दे०दून	9634837820	
(4)	श्री० अंकित राणा (प्रशा. [illegible])	जी० आर० एस० नोएडा		
(5)	श्री० विजय कुमार, इन्जू [illegible]	जी० आर० एस० नोएडा		
6.	श्री कमल राना ग्राम जामुन वाला	ग्राम० फुलेसनी जामुन वाला	9412900432 9568960477	[signature]
7.	दिपक गुसांई	जामुन वाला	9417528077	[signature] मदन

DATE 06 08 2019

	नाम व पद	पता	दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
8	B.S. Rawat	G.M.V.N Ltd	7835105305	[signature]
9	K.S.O मदन	Jamunwal		[signature]
10	श्री [illegible] नेगी	G.M.V.N Ltd		[signature]
11	Bahadur Singh	Jamun wala		[signature]
12	Hoshiar Singh	Jaman Wala		[signature]
13	S.S. Sajwan Lakh	Lakhpal Vikhwan	9319392749	[signature]
14	Ansuya Pal	Jamun wala	9761109344	[signature]
15	HARI Singh	Ako wala		[signature]
16	Ramesh Meikheti	[illegible]	9837629152	[signature]
17	सबिता	जामुनवाला		सबिता
18	[illegible]			
19	व्यामसिंह			
20	Rajendra Singh	Falsine	—	R. Singh
21	Praveen	"	—	Praveen
22	PRABHAKar	Anekowal	9412247664	[signature]
23	Rajendra Singh Kunwar	Jamun wala	9837242058	[signature]
24	Kamal Singh	-do-		[signature]
25	विनेशकुमार	जामुनवाला	8979756379	विनेशकुमार
26	Manoj Kr	Dhordash	7500538761	[signature]
27	विक्रम सिंह चौहान	जामुनवाला	7579066652	[signature]
28	विनोद डोंगी	जामुनवाला	9690593192	[signature]
29	K.K. Rana	Jamun wala	9568960433	[signature]
30	Retd (Sub)			

DATE 06 08 2015

	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
32	चमन लाल	जामुन वाला	9761798801	चमन लाल
33	विनोद जोगी	जामुन वाला	9690393192	[signature]
34	विक्रम सिंह चौहान	आकुवाला	7579066652	[signature]
35	असरफ अली	आमवाला	9758241227	[signature]
36	समसुद्दीन	आमवाला	— — —	[signature]
37	दीवानसिंह रावत	आमवाला	9627011077	[signature]
38	मदन कनियाल	फुलसनी	7579092300	[signature]
39	मदन सिंह			मदन
40	चमन लाल	जामुन वाला	9761798801	चमन लाल
41	विमल किशोर नौटियाल	फुलसनी	9412599916	[signature]
42	कुन्जराम दत्ता	फुलसनी	9412900432	[signature]
43	बी० एस० दान से० प्रभारी	ग० म० वि० नि० लि०	9412403291	[signature]
44	[illegible]	फुलसनी	9711843647	[signature]
45	विक्रम कुमार	”	9823432172	[signature]
46	अर्जुन रावत	”		[signature]
47	राकेश कुमार	”		[signature]